# न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

## पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **157 / 2020**

प्रार्थी :–

1. सफी मोहम्मद पुत्र नबे खां जाति मुसलमान निवासी कोडूका तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. खमें खां पुत्र नबेखां
2. फरीद खां पुत्र नबे खां जाति मुसलमान
3. सायर कंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपुत सभी निवासीयान कोडूका , तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्**

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपस्थिति :– 1. श्री मुनीर अली पठान वकील प्रार्थी
2. श्री संदीप पालीवाल वकील विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3
3 पैरोकार सरकार नयाब तहसीलदार जसोल

**'निर्णय'** दिनांक :– 12.07.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा कोडूका तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 115 रकबा 0.04 बीघा, खसरा न0 117 रकबा 2.03 बीघा व खसरा नं0 179 / 116 रकबा 141.00 बीघा कुल रकबा 143.17 बीघा भूमि में प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त सामालाती में आई हुई है।उपरोक्त खसरों का पक्षकारान के बीच आपसी सहमति से बंटवाडा हुआ, जिसके अनुसार खसरा नं0 115 रकबा 0.04 बीघा व खसरा न0 179 / 116 रकबा 46.17 बीघा कुल रकबा 47.01 बीघा खमें खं पुत्र नबेखां के हिस्से में व खसरा न0 179 / 116 रकबा 26.15 बीघा व खसरा त्र 179 / 116 रकबा 20.06 बीघा कुल रकबा 47.01 बीघा सफी मोहम्मद पुत्र नबे खां के हिस्से में व खसरा न0 179 / 116 रकबा 26.15 बीघा व खसरा न0 179 / 116 रकबा 20.07 बीघा कुल रकबा 47.02 बीघा फरीदखां पुत्र नबेखां के हिस्से में रखा गया, जिसकी स्वीकृति हेतु भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा के समक्ष पेश किया जिन्होंने उक्त बंटवाडे का स्वीकृत कर अपनी सहमति दी गयी। उपरोक्त अनुसार नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 21.5.2015 को भरा गया, जिसके अनुसार खसरा न0 115 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नं 179 / 116 रकबा 46.17 बीघा खमेखां पुत्र नबे खां में, खसरा न0 235 / 116 रकबा 26.15 बीघा व खसरा न0 236 / 116 रकबा 20.06 बीघा सफीखां पुत्र नबे खां के खाते में तथा खसरा न0 237 / 116 रकबा 26.15 बीघा व खसरा न0 238 / 116 रकबा ... फरीदखां पुत्र नबेखां क खाते दर्ज कर दिया गया । माफिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान ने तहसीलदार पचपदरा के समक्ष स्वीकृत हेतु पेश किया था जो नक्शा परिशिष्ट अ जरिये इस प्रार्थना पत्र का अंग शुमार किया जाता है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड ... लट्ठा ट्रेस में दर्ज नहीं कर हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे व मौके पर पक्षकारान के कब्जा को तस्दीक किये मनमाने तरीके से गलत व विभाजन प्रस्ताव के नक्शा परिशिष्ट 'अ' के विपरीत तरमीम कर दी गयी। पटवारी द्वारा गलत तरमीम की गयी उसका नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.05 15:20:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

के साथ पेश है जिसके प्रार्थना पत्र का अंग शुमार किया जाता है। दिनांक 14.09.2020 को प्रार्थी ने हल्का पटवारी से रेकर्ड देखा तो उक्त नक्शा लटठा ट्रेस मे की गयी गलत तरमीम का ज्ञान हुआ, अतः प्रार्थना पत्र नक्शा लटठा ट्रेस में की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये। तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट पेश हेतु तहरीर जारी कि गयी। जिसकी पालना रिपोर्ट दिनांक कमांक 746 दिनांक 12.3.2021 को प्राप्त हुई। जिसमें जाहिर किया गया कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' लट्ठा ट्रेस की प्रति जिसमे काली लाईन मूल लटठा ट्रेस एवं लाल लाईन विभाजन के बाद की गई तरमीम व रही लाईन मौके पर कब्जा अनुसार स्वंय खातेदार के सही रकबे के अनुसार की गई है । तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा लाल लाईन को अपास्त किया जा हरी लाईन अनुसार तरमीम की जाने पर सभी खातेदार सहमत होना बताया गया है। दिनांक 4.11.2020 को विप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा न0 115 रकबा 0.04 बीघा, खसरा न0 117 रकबा 2.03 बीघा व खसरा नं0 179/116 रकबा 141.00 बीघा कुल रकबा 143.17 बीघा में भूमि में गलत तरमीम को दुरूस्त कर नक्शा परिशिष्ट 'अ' के माफिक नक्शा लटठा ट्रेस में शुद्व तरमीम दर्ज की जाती है तो हम विप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र ऐतराज नहीं है।

विप्रार्थी संख्या 04 की और से सराकरी पैरोकार नायब तहसीलदार, जसोल उपस्थित ने जाहिर किया की पक्षकार के द्वारा चाही गई इस्तदुआ में यदि पक्षकार सहमत है, मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाती है, तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थीगण के उक्त आराजी भूमि में गलत तरमीम को तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' के माफिक नक्शा लटठा ट्रेस में शुद्व तरमीम काली लाईन मूल लटठा ट्रेस एवं लाल लाईन विभाजन के बाद की गई तरमीम लाल लाईन को अपास्त किया जाकर हरी लाईन के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की और से सरकारी पैरोकार तहसीलदार पचपदरा की सहमति के आधार पर स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे सरहद मौजा कोडूका तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 115 रकबा 0.04 बीघा, खसरा न0 117 रकबा 2.03 बीघा व खसरा नं0 179/116 रकबा 141.00 बीघा कुल रकबा 143.17 बीघा की भूमि की गलत की गई तरमीम को मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' के माफिक नक्शा लटठा ट्रेस लाल लाईन से की तरमीम को अपास्त किया जाकर हरी लाईन के अनुसार तरमीम दुरूस्ती लटठा ट्रेस राजस्व रेकर्ड में करवा कर पालना इस न्यायालय को पन्द्रह योम में भिजवाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.05 15:20:39 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner